डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर.

पंजी. क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77] रायपुर, शनिवार , दिनांक 6 अप्रैल 2002—चैत्र 16, शक 1924

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2002

अधिसूचना

क्रमांक 332/परिवहन विभाग/2002.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994, में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा-96 एवं 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा-212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का अवसान होने के पश्चात् विचार किया जाएगा.

किसी भी आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने से पूर्व प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, रायपुर को दाऊ कल्याण सिंह भवन, कक्ष क्रमांक-209 में कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जाएं, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन

उक्त नियमों में :—

1. नियम, 2 परंतुक (ज) में शब्द ''सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी'' के स्थान पर ''सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी या जिला परिवहन अधिकारी'' स्थापित किया जाये.

2. नियम 40 के क्रमांक 8 में अंक "50" के स्थान पर "20" स्थापित किया जाये.
3. नियम 62 के क्रमांक 4 में अंक "50" के स्थान पर "20" स्थापित किया जाये.
4. नियम 145 के क्रमांक 13, 15 और 19 के स्थान पर निम्नानुसार स्थापित किया जाये :—

अनुक्रमांक	प्रयोजन	रकम रुपयों में
(1)	(2)	(3)
13.	मोटर केव से भिन्न परिवहन यान के लिये अस्थायी अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संबंध में—	
	(अ) धारा 87 (1) (क)	200.00
	(ब) धारा 87 (1) (ख)	300.00
	(स) धारा 87 (1) (ग)	300.00
	(द) धारा 87 (1) (घ)	300.00
15.	धारा 88 (8) के अधीन विशेष अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन-पत्र के संबंध में	500.00
19.	चार मास से अनाधिक की कालावधि के लिये किसी यान के अस्थायी प्रतिस्थापन की मंजूरी दिये जाने हेतु आवेदन के संबंध में.	300.00
	टीप :—इस नियम के खण्ड 8 तथा 13 में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञापत्र मंजूर/नवीकरण करने हेतु अस्थायी अनुज्ञापत्र मंजूर करने हेतु आवेदन के संबंध में कोई फीस देय नहीं होगी यदि आवेदन वास्तविक कृषक द्वारा उसके स्वामित्व के ट्रेक्टर, ट्राली के लिये प्रस्तुत किया गया हो.	
	स्पष्टीकरण:—अनिव्यक्ति वास्तविक कृषक का वही अर्थ होगा जो इसके लिये छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में दिया गया है.	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसारा,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2002

क्रमांक 332/परिवहन विभाग/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 6-4-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसारा,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

Raipur, the 6the April 2002

NOTIFICATION

No. 332/Trans./2002.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994. which the State Government propose to make in exercise of the powers conferred by Section 96 and 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestions which may be received by the Principal Secretary, Government of Chhattisgarh. Transport Department, Raipur, during the office hours at Dau Kalyan Singh Bhawan, Room No. 209, from any person with respect to the said draft before expiry of the aforesaid specified period will be considered by the State Government.

AMENDMENT

In the said rules :—

1. In clause (h) of rule 2, for words "or Assistant Regional Transport Officer" the words "Assistant Regional Transport Officer or District Transport Officer" shall be substituted.
2. In Sr, No. 8 of rule 40, the figure "50" shall be substituted by "20"
3. In Sr. No. 4 of rule 62, the figure "50" shall be substituted by "20"
4. For Sr. No. 13, 15, and 19 of rule 145, the following shall be substituted.

S. No. (1)	Purpose (2)	Amount in Rupees (3)
13.	In respect of an application for temporary permit of transport vehicle other than Motor cab :—	
	(a) Under section 87 (1) (a)	200.00
	(b) Under section 87 (1) (b)	300.00
	(c) Under section 87 (1) (c)	300.00
	(d) Under section 89 (1) (d)	300.00
15.	In respect of an application for a special permit under section 88 (8)	500.00
19.	In respect of an application for grant of a temporary replacement of a vehicle for the period not exceeding four months.	300.00

Note :—No fee shall be payable in respect of an application for grant/renewal of permit or for grant of temporary permit in S. No. 8 and 13 of this rule, if the application is presented by the bona-fide agriculturist in respect of a tractor-troley combination owned by him.

Explanation :—The expression "Bona-fide agriculturist" shall have the meaning as assigned to it in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.